पंजीकृत पत्र
उल्लंघन पत्र

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यलय
कर्मयोगी भवन, सेक्टर-10A, चतुर्थ माला,
ब्लॉक-2 , सी विंग, गांधीनगर
ई -मेल: gandhinagar.ibm@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES
Office of Regional Controller of Mines
Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, Sector-10A,
Gandhinagar-382010, Gujarat

मिसिल सं-. GUJ/AMR/LST-09 दिनांक: 05.03.2019

प्रेषित : **M/s. UltraTech Cement Ltd**
Unit-Gujarat Cement Works
PO: Kovaya, Taluka-Rajula,
Dist-Amreli, Gujarat-365541.
Email: vivek.khosla@adityabirla.com

विषय : गुजरात राज्य के Amereli जिले के Rajula तालुका में स्थित आपकी Kovaya Limestone Mine, क्षेत्रफल-953.3253 हेक्टर में खनिज संरक्षण व विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन | ***(Mine Code-38GUJ02009)***

महोदय ,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 03/02/2019 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया|

नियम स.	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
Rule 11(1)	***The mining operation are being carried out in violation of the following provision of the approved Mining Plan (Approved vide letter No. 682(23) (MS-596)/2010 UDP, dated 26.07.2016) for the period 2016-17 to 2020-21.*** In Para 2(e) of approved mining plan, during the year 2017-18 limestone production/ROM excavation was proposed from 16 different locations between grid lines NS 1600 to (-)400 and EW6500 to (-)300. But, during the inspection, it was observed that the production/ROM excavation was not carried out as per the proposals at designated locations.
Rule 45(5)(c)	***In annual Return submitted for the year 2017-18 in form H-8 to the Regional Controller of Mines found following discrepancies –*** i) Part-I under item-12, Utilization of lease area not shown correctly & mismatching with figures furnished in previous approved mining plan. ii) Part-VI under item-1, Ex-mine price furnished for limestone as Rs-199.30/Tonne and for Marl it is reported as Rs- 172.88/Tonne which appears to be incorrect. iii) Part-VII: Under the cost of production for the year 2017-18, details of DMF & NMET contribution details have not been incorporated. Further, rate of royalty furnished as Rs-75.0/Tonne is also incorrect.
Rule 54(a)	***The holder of the mining lease or a holder of prospecting license or prospecting cum mining lease shall maintain details of contribution made to District Mineral Foundation and National Mineral Exploration Trust*** But, in your case, it is observed during inspection that you have not maintained relevant documents as required under prescribed rules.

2. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है की उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा इन नियमों के उल्लंघन की अनुपलना नहीं होने पर खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के नियम 11 (2) एवं 45(7)(a)(i) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है / आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है और/या राज्य सरकार से खदान की सारी संक्रियाए बंद करने और/या आपके विरुद्ध अभियोग दायर करने की सिफ़ारिश की जा सकती है |

03. अत: आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे

भवदीय,

(संजय गिरहे)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. खान नियंत्रक (उ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ हेतु |
2. आयुक्त, भूविज्ञान व खनन विभाग, ब्लॉक-1, 7वा माला, उद्योग भवन, गांधीनगर (गुज.),
3. उप महानिदेशक **¼lkWf[;dh½**, खनन एवं खनिज **¼lkWf[;dh½** प्रभाग, भारतीय खान बुरों, इन्दिरा भवन, नागपुर-440001
4. रक्षित पत्रावली |

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो